डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांकः 34 /फा0सं0–1173/वे0नि0/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./2020–21 दिनांक : २९ अप्रैल, 2020

// कार्यालय–ज्ञाप //

उ0 प्र0 शासन, वित्त (सामान्य) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–01/2020/जी–1–17/दस–2020, दिनांक 24 अप्रैल, 2020 द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड–19 को महामारी घोषित किये जाने तथा प्रदेश में लाकडॉउन घोषित होने के कारण राज्य सरकार के राजस्व में आयी कमी एवं कोविड–19 महामारी के रोकथाम सम्बन्धी कार्यों को सम्पादित करने के लिए वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से शासन द्वारा कतिपय भत्तों/विशेष वेतन, जो पूर्व में किसी भी शासनादेश द्वारा राज्य कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा परिषद एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा समस्त स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य किया हो, को वर्तमान वर्ष 2020–21 (दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से दिनांक 31 मार्च, 2021 तक) में स्थगित रखा गया है।

विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को स्थगित भत्तों/विशेष भत्तों में से नगर प्रतिकर भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य किया जा रहा था, जिसे उपरोक्त निर्गत आदेश के क्रम में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से दिनांक 31 मार्च, 2021 तक के लिए स्थगित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनाँक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2– वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3– समस्त शिक्षकगण, विश्वविद्यालय।
4– समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
5– समस्त कर्मचारीगण, विश्वविद्यालय।
6– श्री विनोद कुमार गौतम, लेखाकार तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
7– विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8– गार्ड फाइल।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

Scanned with CamScanner